जीएसटी का परिचय

UNIT - I

जीएसटी (माल और सेवा कर) की गणना

- जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष कर की जगह ले ली है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 की मध्यरात्रि में संसद में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ; भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ एक व्यापक, मल्टीस्टेज, गंतव्य-आधारित टैक्स है जो हर मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है।
- सरल शब्दों में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। इस कानून ने कई अप्रत्यक्ष कर कानूनों को बदल दिया है जो पहले भारत में मौजूद थे।
- जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है।

वन नेशन वन टैक्स

- एकल जीएसटी ने कई करों और शुल्कों को शामिल किया, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार, राज्य-स्तरीय मूल्य वर्धित कर और ऑक्ट्रोई शामिल थे;
- अन्य लेवी जो माल के अंतर-राज्य परिवहन पर लागू थे, उन्हें भी जीएसटी शासन में दूर किया गया है;
- जीएसटी बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, वस्तु विनिमय, पट्टे, या माल और / या सेवाओं के आयात जैसे सभी लेनदेन पर लगाया जाता है;
- भारत ने दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया, जिसका अर्थ है कि कराधान को केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्रशासित किया जाता है;
- जीएसटी अब देश के सभी राज्यों में लागू है और सरकार के लिए अच्छा काम कर रहा है लेकिन व्यवसायी के लिए जटिलता पैदा कर रहा है।

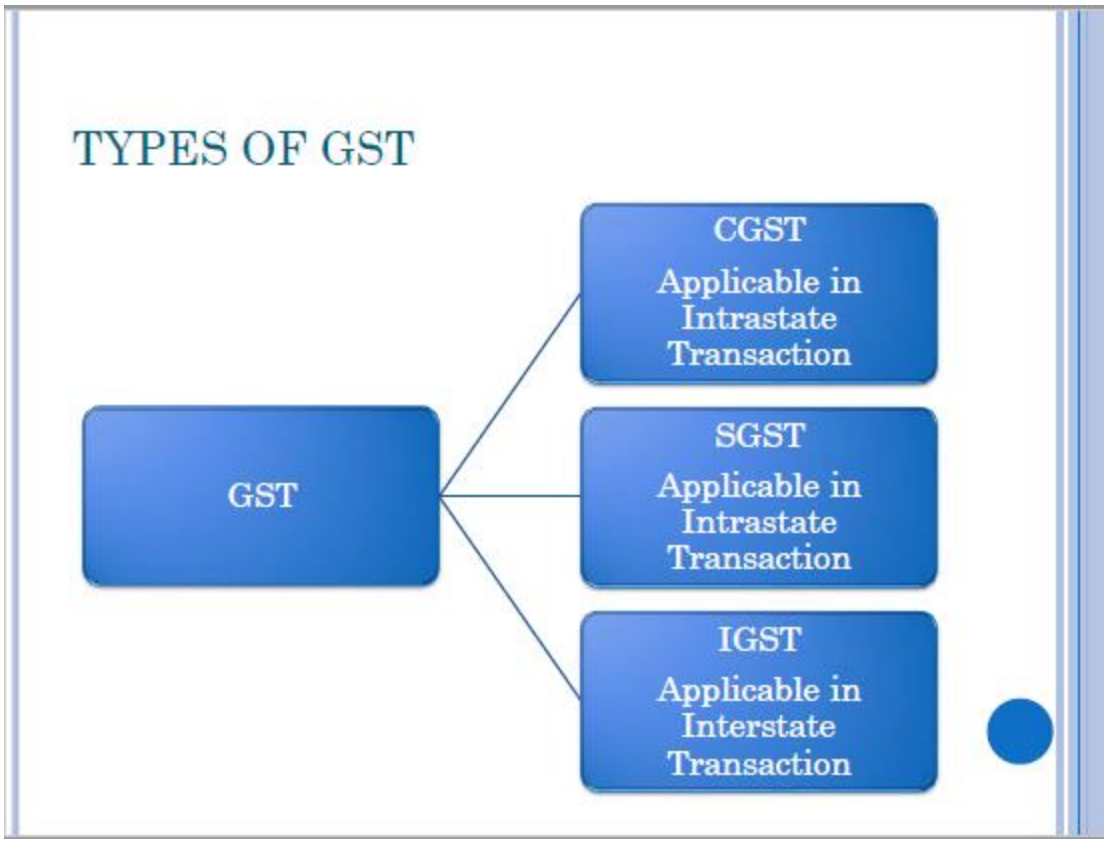

INPUT टैक्स क्रेडिट

- इनपुट क्रेडिट मेकेनिज्म आपके लिए तब उपलब्ध है जब आप जीएसटी अधिनियम के तहत आते हैं।
- जिसका अर्थ है कि यदि आप एक निर्माता, आपूर्तिकर्ता, एजेंट, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, एग्रीगेटर या यहां उल्लेखित किसी भी व्यक्ति, जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं, तो आप अपने PURCHASES पर आपके द्वारा भुगतान किए गए कर के लिए INPUT CREDIT का दावा करने के पात्र हैं।
- इनपुट क्रेडिट का मतलब आउटपुट पर टैक्स चुकाने के समय,
- आप इनपुट पर पहले से चुकाए गए कर को कम कर सकते हैं।
- कहते हैं, आप एक निर्माता हैं -
- आउटपुट पर देय कर (अंतिम उत्पाद) 600 रुपये है
- इनपुट (PURCHASES) पर चुकाया जाने वाला कर 400 रु है
- आप 400 रुपये के INPUT क्रेडिट का दावा कर सकते हैं और आप केवल
- करों में 200 रुपये जमा करने की आवश्यकता

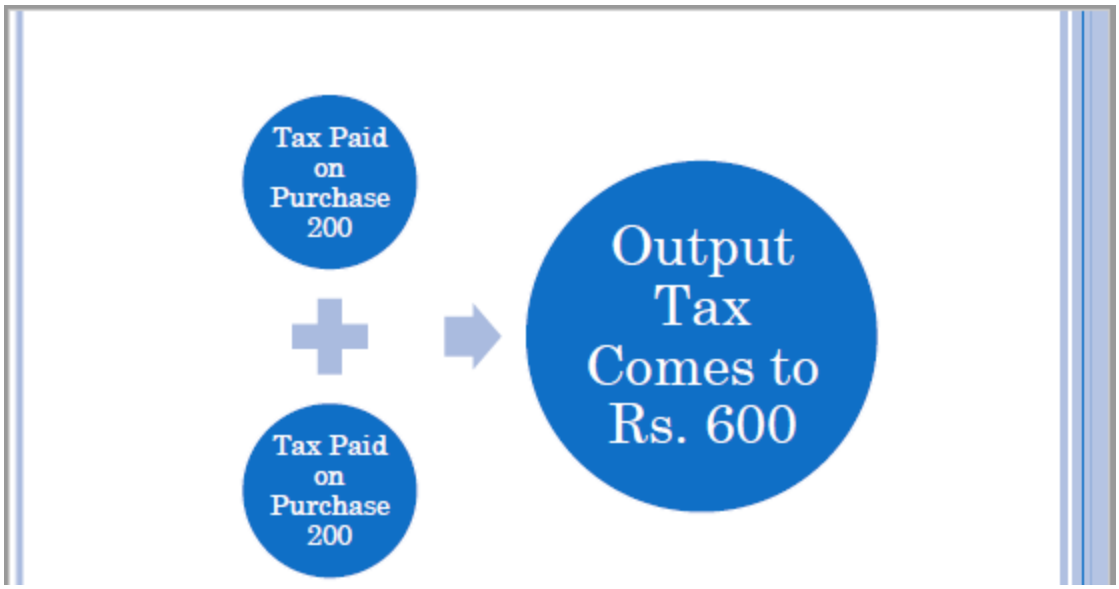

उपरोक्त छवि कर में देय रु। 600 / - जो है आउटपुट टैक्स जहां इनपुट टैक्स के रूप में रु। 400 जो कि भुगतान किया गया था खरीद जो देयता के खिलाफ स्थापित की जाएगी।

इसलिए देयता रु। 200 / -

OUTPUT टैक्स लायबिलिटी

- जीएसटी के तहत पंजीकृत डीलर को भी जीएसटी चार्ज करना होगा ग्राहकों से जिसके खिलाफ वह उत्पादों को बेच रहा है।
- इनपुट से सेट होने के बाद डीलर द्वारा आउटपुट जीएसटी देय है पिछली स्लाइड्स में चर्चा के अनुसार टैक्स क्रेडिट।

पंजीकरण

- जीएसटी शासन में, जिन व्यवसायों का कारोबार रुपये से अधिक है। 40 लाख * (एनई और पहाड़ी राज्यों के लिए 20 लाख रुपये) एक सामान्य कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकृत करने के लिए आवश्यक है। पंजीकरण की इस प्रक्रिया को जीएसटी पंजीकरण कहा जाता है।
- 40 लाख और 20 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यक्ति भी खुद को जीएसटी के तहत पंजीकृत करवा सकते हैं, जब कारोबार 40,00,000 और 20, 00,000 से कम होता है तो पंजीकरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन यदि टर्नओवर अधिक है तो निर्दिष्ट सीमा है तो पंजीकरण अनिवार्य है।

अनिवार्य पंजीकरण

- माल की अंतर-राज्य कर योग्य आपूर्ति करने वाला व्यक्ति।
- कर योग्य आपूर्ति करने वाले आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति।
- जिन व्यक्तियों को रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है
- किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कर योग्य आपूर्ति करने वाला व्यक्ति चाहे वह एजेंट के रूप में हो या अन्यथा;

पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं:

- व्यक्ति केवल असंगत की आपूर्ति के व्यवसाय में लगे हुए हैं
- जीएसटी अधिनियमों के तहत माल या सेवाएं।
- कृषक, भूमि की खेती से उपज की आपूर्ति की सीमा तक और
- केवल सामान या सेवाओं या दोनों के कर योग्य आपूर्ति करने में लगे हुए व्यक्ति, जिस पर कुल कर इस तरह के माल के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर भुगतान किया जा सकता है

पंजीकरण के लिए दस्तावेज

- आवेदक का पैन
- आधार कार्ड
- व्यवसाय पंजीकरण या निगमन प्रमाण पत्र
- फोटोग्राफर्स के साथ प्रमोटरों / निदेशक की पहचान और पते का प्रमाण
- व्यवसाय के स्थान का पता प्रमाण (करंट इलेक्ट्रिक बिल)
- बैंक खाता विवरण / रद्द किया गया चेक
- कंपनी के उद्देश्य के लिए डिजिटल हस्ताक्षर
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प पत्र